


## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- गुराप्र/नवीन पंजी. योजना/2013/1510 दिनांक:- 4-3-2013

### कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सामान्य पंजीकरण योजना/स्ववित्त योजना-2013 के अन्तर्गत 9 शहरों में नवीन पंजीकरण योजना प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/नवीन पंजी. योजना/2013/1270 दिनांक 07.02.2013 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त संदर्भित आदेश में सामान्य पंजीकरण योजना के स्थान पर पंजीकरण योजना एवं तथा पूर्व आदेश के बिन्दु संख्या 2 में प्रताप नगर आवासीय योजना, जयपुर के सैक्टर-26 में उच्च आय वर्ग (एस+10) के 80 आवास एसएफएस के स्थान पर उच्च आय वर्ग (बी+एस+10) के 80 आवास एसएफएस की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

  
(नलिनी कठोटिया)  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव- आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता/सचिव/निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, पीएण्डएम/वित्तीय सलाहकार/तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त/जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., राजस्थान आवासन मण्डल, .....।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., राजस्थान आवासन मण्डल, .....।
7. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा0आ0मं0, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी को मेल करें।
8. रक्षित पत्रावली।

  
(नलिनी कठोटिया)  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक